

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक— वि. प्रा. एवं त.शि.वि. (IV)यो.—19/2023—

/पटना, दिनांक—

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),

वीरचन्द पटेल पथ,

बिहार, पटना।

विषय :— सात निश्चय कार्यक्रम के अधीन विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित बददीउज्जमा खॉन पोलिटेकनिक संस्थान, पुपरी, सीतामढी के प्रशासनिक भवन की अलग-अलग प्रयोगशालाओं में 3-फेज वायरिंग के कार्य हेतु कुल रु० 24,97,817.00 (चौबीस लाख संतानवे हजार आठ सौ सत्रह रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :— स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-250(भ)अनु०, दिनांक-08.01.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराए गए विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल नार्थ बिहार, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर बददीउज्जमा खॉन पोलिटेकनिक संस्थान, पुपरी, सीतामढी के प्रशासनिक भवन की अलग-अलग प्रयोगशालाओं में 3-फेज वायरिंग के कार्य हेतु कुल रु० 24,97,817.00 (चौबीस लाख संतानवे हजार आठ सौ सत्रह रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि राज्य स्कीम बजट के मांग संख्या-03 अन्तर्गत मुख्यशीर्ष -4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -051- निर्माण, उपशीर्ष -0117- इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के लिए भवने (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग), के अधीन 53 01-मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड-03- 4059800510117 ।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट/प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

5. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से किया जाएगा।

6. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य कराने की संयुक्त जिम्मेदारी संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-वि.प्रा. एवं त.शि.वि. (IV)यो.—19/2023 के पृष्ठ- 18/टि० पर प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि०(2), दिनांक-05.10.2007 अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अहमद महमुद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- वि. प्रा. एवं त.शि.वि. (IV)यो.-19/2023-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- वि. प्रा. एवं त.शि.वि. (IV)यो.-19/2023-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- वि. प्रा. एवं त.शि.वि. (IV)यो.-19/2023-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सचिव/अभियंता प्रमुख -सह- अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल नार्थ बिहार, भवन निर्माण विभाग, पटना /कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- वि. प्रा. एवं त.शि.वि. (IV)यो.-19/2023-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्राचार्य, बददीउज्जमा खॉन पोलिटेकनिक संस्थान, पुपरी, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- वि. प्रा. एवं त.शि.वि. (IV)यो.-19/2023-

1498

/पटना, दिनांक- 23/3/25

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी(एम०)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/25

सरकार के अपर सचिव